न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

रसद विविध :: 08/2018

जीसीएमएस नं. :: 2018/00248

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीः–
सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, पाली		सम्पतलाल पुत्र कानाराम प्रजापत, निवासी 423, सुभाष नगर, पाली हाल मालिक मै. मातेश्वरी प्लास्टिक , जोधपुर रोड़ पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(ए) आवश्यक वस्तु अधिनियम

उपस्थित :– प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार
अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री नवीन दवे अनुपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक : 3/2/21

प्रार्थी की ओंर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी सम्पतलाल पुत्र श्री कानाराम प्रजापत के जोधपुर रोड स्थित मैसर्स मातेश्वरी प्लास्टिक, पाली स्थित प्रतिष्ठान से वक्त निरीक्षण दिनांक 10.04.2018 को मौके पर 2 घरेलु गैस सिलेण्डर (14.2 किग्रा) इण्डेन कम्पनी के तथा 1 अप्रमाणिक सिलेण्डर (5 किग्रा) पाये गये। जिनमें से कुछ पूर्ण व आंशिक रूप से भरे हुए पाये गये। उपरोक्त गैस सिलेण्डरों के साथ 7 पितल की रिफलिंग नलियां जिनका अवैध संग्रहण किये जाने पर जब्त कर राज्यसात करने हेतु पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी की ओर प्रवर्तन निरीक्षक पाली ने वक्त बहस कथन किया कि दिनांक 10.04.2018 को घरेलू गैस सिलेण्डर की कालाबाजारी व अवैध रिफिलिंग की रोकथाम हेतु प्रवर्तन निरीक्षक, रानी सुश्री भावना दयाल हमराह श्री दिनेश बिश्नोई (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) जिला रसद अधिकारी महोदय पाली के साथ जोधुपुर रोड, पाली स्थित अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मैसर्स मातेश्वरी प्लास्टिक में पहुचें। मौके पर अप्रार्थी श्री सम्पतलाल पुत्र श्री कानाराम उपस्थित मिला व उसने बताया कि वह स्वयं ही प्रतिष्ठान का मालिक है। प्रार्थी ने मौके पर रूबरू मौतबिरान श्री हितेश पुत्र सम्पतलाल निवासी 423, सुभाष नगर, पाली एवं अजयसिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह, निवासी 25, सुभाष नगर, पाली की उपस्थिति में आवासीय मकान की जांच करने पर 2 घरेलू गैस सिलेण्डर क्षमता 14.2 किग्रा इण्डेन कम्पनी के जिनका मय गैस वजन क्रमशः 29.900 किग्रा व 29.300 किग्रा के साथ 1 छोटा अप्रामाणिक गैस सिलेण्डर मिला । जिनमें कुछ पूर्ण व कुछ आंशिक रूप से भरे हुए मिले। साथ ही 7 पीतल की रिफिलिंग नलियां भी पायी गयी। मौके पर अप्रार्थी से विधिक दस्तावेज मांगने पर घरेलु गैस सिलेण्डर खाली एवं भरे हुए संग्रहण करने अथवा बिक्री करने से संबंधित किसी प्रकार के वैद्य दस्तावेज नही थे न ही अप्रार्थी ने उपलब्ध करवाएं। अप्रार्थी द्वारा वैद्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए जाने पर प्रार्थी द्वारा बी.के. इन्टरप्राईजेज, पाली के प्रतिनिधी से उपरोक्त जब्तसुदा सिलेण्डरों का तौल हैंगिंग स्केल से करवाया गया तथा इस प्रकार घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग में लेतें हुए एवं अवैध संग्रहण करते हुए पाए जाने के फलस्वरूप द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना करने पर उपरोक्त सामग्री को जब्त कर वजह सबूत कब्जे में लेकर अग्रिम आदेश तक सुरक्षित र[illegible]पाराम, निवासी 187, महाराणा प्रताप नगर, पाली हाल गोदाम कीपर मै[illegible] बी[illegible] इन्टरप्राईजेज, पाली को सुपुर्दगीनामे पर दिये गये। उपरोक्[illegible] पर मोबाईल फोन से फोटोग्राफ्स भी लिए गये[illegible] इस प्रकार अप्रार्थी द्[illegible]क्त गैस सिलेण्डरो को बिना वैध परमिट के संग्रहण [illegible] व अवैध रिफिलिंग कर [illegible]ट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश, 2000 के क्लोज 3 ए, सी की अवहेलना की है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रस्तुत कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश पृष्ठ :: 2

निवेदन है कि जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डरो, एवं अन्य सामग्री को राज्यसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे।

अप्रार्थी व अप्रार्थी के अधिवक्ता बावजूद दो बार आवाज लगाने के भी अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि अधिवक्ता अप्रार्थी को जवाब पेश करने हेतु बार–बार समय दिये जाने पर भी कोई जबाब पेश नहीं किया गया। अप्रार्थी व अधिवक्ता अप्रार्थी आज दो बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नहीं होने से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत यह समरी प्रक्रिया होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर पत्रावली के गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाना उचित प्रतित होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वक्त कार्यवाही अप्रार्थी के प्रतिष्ठान में घरेलु गैस सिलेण्डरों का अनाधिकृत भण्डारण एवं बेचाण पाया गया। घरेलु गैस सिलेण्डरों से छोटे 5 किग्रा. के सिलेण्डरों में भराव कर बिक्री करना पाया गया मौके पर 7 पितल की रिफलिंग नलियां बरामद हुई। प्रतिष्ठान में में 2 इण्डेन कम्पनियों के घरेलु गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा) जिनका मय गैस वजन क्रमशः 29.900 किग्रा व 29.300 किग्रा कुछ पूर्ण व कुछ आंशिक भरे हुए 7 पितल की रिफलिंग नलियां, 1 अप्रमाणिक सिलेण्डर (क्षमता 5 किग्रा) पाए गए। जो अवैधानिक रूप से संग्रहण की हुए थे। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से जब्दसुदा सामग्री पाया जाना किसी तरह से विधीसम्मत नहीं है। अप्रार्थी के द्वारा अवैध रूप से द्रवित पेट्रोलियम गैस का व्यवसाय करता है तथा इस हेतु प्रयोग में ली जाने वाली नलिया भी वहां पाई गई। उपरोक्त घरेलु गैस सिलेण्डरों व अन्य सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग व अवैध रिफिलींग किए जाने के कारण जब्त कर सुपुदर्गीनामे पर दिए गए। इस संबंध में अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अनुज्ञा पत्र व गैस कनेक्शन संबंधी वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए न ही उनके पाए जाने की वैधता बाबत कोई सबूत अथवा दस्तावेज निरीक्षणकर्ता प्रार्थी के समक्ष अथवा इस न्यायालय में आदिनांक पेश किए गए न ही अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा कोई सन्तोषप्रद जवाब पेश ही किया गया। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी सम्पतलाल द्वारा द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय, वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 के क्लोज 3 ए.सी. की अवहेलना किए जाने से घरेलु गैस सिलेण्डरों, अन्य अप्रमाणिक गैस सिलेण्डरों, जब्त सुदा रिफिलींग नलियों व घरेलु गैस डायरियों, को राज्यसात (Confiscate) किया जाना न्यायोचित पाते हैं।

परिणामस्वरुप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी द्वारा अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध संग्रहण एवं अवैध रिफिलिंग किए जाने पर जब्तसुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डर जो इण्डेन कम्पनी के क्षमता 14.2 जिनका मय गैस वजन क्रमशः 29.900 किग्रा व 29.300 किग्रा किग्रा व 1 अप्रमाणिक सिलेण्डर क्षमता 5 किग्रा, 7 पितल की रिफलिंग नलियां को राज्यसात (Confiscate) किया जाता हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, पाली को प्रेंषित कर आदेशित किया जाता है कि जब्त सुदा घरेलु गैस सिलेण्डरो को मय गैस सुपुर्ददार से प्राप्त कर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक F 8618/खा.ले./नीति/6A/2020 जयपुर दिनाँक 19.08. 2000 एवं उसकी पालना में खाद्य एवं नागरिक रसद विभाग द्वारा जारी पत्रांक F 04{23} ख.ले/नीति/6A/89 जयपुर दिनाँक 16.11.1999 के अनुरूप ही जब्तसुदा गैस सिलेण्डर, रिफिलिंग नलियां व घरेलु गैस डायरियों के निस्तारण की कार्यवाही की जावे। जो सामान उक्त प... की नियमानुसार निलामी की जाकर समस्त राशी राजकोष में जमा करा... रिपोर्ट भिजवावें।

निर्णय आज दिन... लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:47:52 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली